भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2695

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

2695. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यूपीएससी सिविल सेवाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए दस प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2019 से इस श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह आयु में छूट तथा प्रयासों की अतिरिक्त संख्या का लाभ दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सीएसई-2019 से सीएसई-2023 तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 477 अभ्यर्थी अनुशंसित किए गए हैं।

(ग) और (घ) : ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयु में शिथिलता तथा अतिरिक्त प्रयासों की संख्या प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

*****